HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 1288/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1409/2026
URN: CRLAS / 2502U / 2026

Ravi Mehta S/o Sampatraj Mehta, Aged About 42 Years, Resident Of House No.42, Mitra Niwas Colony, Madanganj Police Station Madanganj District Ajmer. (At Present Accused Is Confined In District Jail, Ajmer, Rajasthan)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Pushpendu Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Kumar Saini, P.P. with Mr. Gaurav Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

15/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ, जिला अजमेर** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**34/2017, राजस्थान राज्य** बनाम **रवि मेहता व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.06.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। अपीलार्थी को प्रकरण में अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दंडित किया किया गया है, अपीलार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान कुछ समय न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, तत्पश्चात वह जमानत पर आजाद रहा है तथा वर्तमान में वह निर्णय की दिनांक 11.06.2026 से अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विचारण के दौरान गवाहान पी.डब्ल्यू–5 भगवान व पी.डब्ल्यू–6 रामधन पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। उनका यह भी तर्क है कि विस्फोटक पदार्थ का अपीलार्थी/अभियुक्त के पास लाईसेंस रहा है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्श पी–22 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–8 गोमाराम ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि रवि मेहता के पास विस्फोटक सामग्री विक्रय करने का लाईसेंस था, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का समग्रता से विवेचन नहीं किया है, उनका यह भी तर्क रहा है कि अपील में अपीलार्थी के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों, अपीलार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि

अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/– रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थी/अभियुक्त **रवि मेहता पुत्र श्री सम्पतराज मेहता** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/31